रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1986/आषाढ़ 3, 1908

No. 314] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1986/ASADHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 902(अ)/आ. व./चीनी :—केन्द्रीय सरकार उच्चतर लागत और चूना पत्थर और कोयले जैसी सामग्रियों की बहुत अधिक खपत जैसी विभिन्न हानियों के कारण उत्पादकों द्वारा द्विकार्बनीकरण द्विसल्फाइटीकरण (द्वि. का. दि. स.) प्रक्रिया का प्रयोग करके निर्वात कढ़ाह चीनी के विनिर्माण को समाप्त करने के लिए कतिपय प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है;

और केन्द्रीय सरकार विद्यमान चीनी कारखानों द्वारा द्विकार्बनीकरण द्विसल्फाइटीकरण द्वारा चीनी के विनिर्माण को विनिर्माण की द्विसल्फाइटीकरण प्रक्रिया में परिवर्तित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है;

और केन्द्रीय सरकार ने, सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात्, गन्ना संदलन सीजन 1989-90 के प्रारम्भ से द्विकार्बनीकरण द्विसल्फाइटीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्वात कढ़ाह चीनी के विनिर्माण पर पाबंदी लगाने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 और 7 के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि 1 अक्तूबर, 1989 से निर्वात कढ़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन करने वाला कोई भी चीनी उत्पादक द्विकार्बनीकरण द्विसल्फाइटीकरण विनिर्माण की प्रक्रिया का प्रयोग करके, ऐसी चीनी का विनिर्माण नहीं करेगा :

परन्तु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन द्विकार्बनीकरण द्विसल्फाइटीकरण प्रक्रिया का प्रयोग करके निर्वात कढ़ाह चीनी के विनिर्माण के लिए पहले से अनुज्ञप्त और स्थापित कोई औद्योगिक उपक्रम 1 अक्तूबर, 1989 के पूर्व आवश्यक संयंत्र और मशीनरी प्रतिष्ठापित करके द्विसल्फाइटीकरण प्रक्रिया को अपनाएगा ।

[सं. 1-11/86-एस पी वाई (डी II)]

वी. लक्ष्मी रतन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 24th June, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 902(E)|Ess|Com|Sugar.—Whereas the Central Government have been considering certain proposals for discontinuing the manufacture of vacuum pan sugar by the sugar producers by using Double Carbonation Double Sulphitation (DCDS) process on account of various disadvantages like higher cost involved and larger consumption of materials like lime stone and coal;

And whereas the Central Government have also been considering the question of changeover of the existing sugar factories manufacturing sugar with Double Carbonation Double Sulphitation process to Double Sulphitation process of manufacture;

And whereas, after careful consideration, the Central Government have decided to ban the manufacture of vacuum pan sugar by Double Carbonation Double Sulphitation process from the commencement of the Sugarcane Crushing Season 1989-90;

Now, therefore, in pursuance of clauses 5 and 7 of the Sugar (Control) Order, 1966 the Central Government hereby directs that with effect from the first day of October, 1989, no producer of sugar by vacuum pan process shall manufacture such sugar using the Double Carbonation Double Sulphitation process of manufacture:

Provided that an industrial undertaking already licensed and established under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for the manufacture of vacuum pan sugar utilising the Double Carbonation Double Sulphitation process for such manufacture shall change over to Double Sulphitation process by installation of necessary plant and machinery before the first day of October, 1989.

[No. 1-11|86-SPY(D.II)]

V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986